महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-37/2015/भा0स0 32/84-2-2015-सीपी 49/2000

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेई,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 18 दिसम्बर 2015

विषय **"राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस"** के रूप में वृहद कार्यक्रम आयोजित करके मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर को "राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस" घोषित किया गया है।

2. आगामी 'राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 2015' के अवसर पर भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष इस दिवस का विषय **" Safe & Healthy Food: Combating Food Adulteration "** होगा। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि इस अवसर पर सेमिनार, कार्यशाला, विभिन्न प्रतियोगितायें एवं अन्य दूसरे कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जिसमें गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाय। अतः कृपया उपभोक्ताओं के हितों के रक्षार्थ एवं उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों से परिचित कराने एवं अपने उपभोक्ता हितों की रक्षा करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये विषय के अनुसार उपरोक्तानुसार कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

3. कृपया उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपर्युक्तानुसार वृहद कार्यक्रम आयोजित कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनिल कुमार बाजपेई
संयुक्त सचिव।

....2.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3) आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम को राज्य मुख्यालय पर आयोजित किये जाने के संबंध में अपेक्षित समस्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के साथ ही इस संबंध में समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम, उ0प्र0 को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करे।

(5) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, 7 वालीकदर रोड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि भारत सरकार की अपेक्षानुसार सेमिनार, कार्यशाला, विभिन्न प्रतियोगितायें एवं अन्य दूसरे कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, गोखले मार्ग, लखनऊ।

(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था, जवाहर भवन, लखनऊ।

(9) राज्य स्तरीय समन्वयक, भारतीय तेल निगम, कपूरथला अलीगंज, लखनऊ।

(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अनिल कुमार बाजपेई

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।